न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–14/2013–14

बीबी सैमुन खातुन

बनाम

बीबी रेहाणा खातुन

आदेश के क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख–सहित 3.
14.03.15	प्रश्नगत जमाबंदी रद्दीकरण का यह मामला विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी के न्यायालय से उनके पत्रांक 215/भू0सु0, दिनांक 13.02.2014 के माध्यम से आवश्यक अनुशंसा के साथ प्राप्त है। तदनुसार विधिवत सूचना निर्गत किए जाने के पश्चात उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सविस्तार पूर्वक सुना तथा अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को भी देखा। विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी द्वारा पारित अपने निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि मौजा दिघौन के थाना नं0–144, तौजी नं0–595, खाता नं0–730, 661, 897 एवं 898, खेसरा नं0–1488, 1605मी0, 1356, 1355 की कुल अराजी 05 बीघा, 02 कट्ठा 03 धुर 10 धुरकी अराजी की जमीन जो बेलदौर अंचल अंतर्गत अवस्थित है। आवेदिका को अपने पति वसीर उद्दीन के द्वारा उनसे देन मोहर संख्या–4900/1995 के माध्यम से प्राप्त हुयी है और आवेदिका उसी समय से अद्यतन काबिज है। जमाबंदी संख्या–2355 अंचल कार्यालय, बेलदौर के सिरिश्ता में संधारित होकर चल रही थी और अंचल कार्यालय, बेलदौर के शिरिश्ता से प्रश्नगत भूमि की मालगुजारी की रशिद भी आवेदिका को प्राप्त होती रही। किन्तु वसीर उद्दीन के द्वारा अपनी ~~बहन~~ बड़ी पुत्र वधु के नाम केवाला किए जाने के फलस्वरूप पुनः प्रश्नगत खाता–खेसरा की कुल अराजी में से 04 बीघा 17 कट्ठा 03 धूर 10 धूरकी अराजी के लिए 5269 B.R विपक्षी के नाम गलत तरीके से संधारित कर दिया गया जिसे आवेदिका के नाम पूर्व की जमाबंदी एवं उनकी प्रश्नगत स्थल पर अद्यतन कब्जा के आधार पर वैध ठहराते हुये तथा इस संदर्भ में पक्षकारों के सहमति के आधार विपक्षी के नाम संधारित जमाबंदी संख्या–5269 B.R को विलोपित करते हुये प्रश्नगत भूमि के लिए आवेदिका के नाम संधारित जमाबंदी संख्या–2355 यथावत रखने के लिए विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी द्वारा आवश्यक अनुशंसा किया गया है।	

19/03/15 Time-10:48 PM

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख–सहित 3.
	चूँकि इसी आशय की पुष्टि ~~स्थलीय~~ स्थानीय राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, बेलदौर द्वारा अपने स्थलीय जाँचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन में किया गया है। अतः विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी के अनुशंसा के आलोक में सहमति प्रदान करते हुये विपक्षी के नाम संधारित जमाबंदी संख्या–5269 को विलोपित करते हुये प्रश्नगत भूमि को आवेदिका के नाम संधारित जमाबंदी संख्या–2355 में पुर्नस्थापित करने के लिए स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को भेज दें। लेखापित एवं संशोधित [signature] 14/12/15 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया [signature] 14/12/15 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया (ज्ञापांक) ________ 2 डी० बी० न० 95 / दिनांक- 17.03.2015 प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को, L.C.R. सहित सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- N.I.C, खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, बेलदौर को सूचनार्थ प्रेषित। [signature] अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। 16-3-15	